

श्रमायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, इन्दौर

कमांक 6/11/अन्वे./पांच/2015/ 11869-11999 इन्दौर, दिनांक 31-3-2023

अधिसूचना

विषय:- न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अन्तर्गत राज्य के श्रमिकों के लिए दिनांक 01.04.2023 से न्यूनतम वेतन की दरें परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते सहित प्रभावशील करने के संबंध में।

म.प्र. राजपत्र दिनांक 10 जून 2016 के पृष्ठ क्रमांक 670 एवं 671 पर प्रकाशित श्रम विभागीय अधिसूचना क. एफ 4 (सी)1-2013/अ-16 के अनुसार राज्य के श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन की दरें पुनरीक्षित की गई थी जो अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 241 (जनवरी से जून 2014) 2001=100 को आधार मानकर संबद्ध की गई है। जो दिनांक 10 जून 2016 से लागू है।

उपरोक्त विषयांतर्गत अनुसूचित नियोजनों की सूची में क्रमांक 1 से 36, 39 से 55 तथा 57 से 66, 68, 70, 71 एवं 72 तक कुल 67 नियोजनों में न्यूनतम वेतन की दरें अभी तक घोषित परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते को विनियोजित करते हुए दिनांक 01.04.2023 से 30.09.2023 तक प्रभावशील की गई है। गत छः माही का औसत 379 रहा है अतः इसके कारण गत छः माही में मान्य किये गये अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत के ऊपर (379-366)= 13 औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है। जिसके कारण जारी दरें निम्नानुसार रहेगी:-

अनुसूची -अ

67 अनुसूचित नियोजन में मासिक एवं दैनिक वेतन की दरें जिसमें परिवर्तशील मंहगाई भत्ते सम्मिलित है।

(आकड़ें रूपयों में) (26 दिन के मान से)

श्रमिकों का वर्ग	न्यूनतम मूल वेतन रूपये		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता रूपये		कुल वेतन रूपये		राउन्डअप में देय दैनिक वेतन दर रूपये
	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	
अकुशल	6500.00	250.00	3150	121.15	9650	371.15	371
अर्ध कुशल	7057.00	271.42	3450	132.69	10507	404.12	404
कुशल	8435.00	324.42	3450	132.69	11885	457.12	457
उच्च कुशल	9735.00	374.42	3450	132.69	13185	507.12	507

अनुसूची -ब

किसी रलेट पेंसिल निर्माण शाला में नियोजन

मासिक एवं दैनिक वेतन की दरें जिसमें परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता भी सम्मिलित है

(आकड़े रूपयों में)

श्रमिकों का वर्ग	न्यूनतम मूल वेतन रूपये		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता रूपये		कुल वेतन रूपये		राउन्डअप में देय दैनिक वेतन दर रूपये
	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	
मजदूर	6500.00	250.00	3150	121.15	9650	371.15	371
पेकर्स, पट्टी पेकर सीपर	6705.00	257.88	3450	132.69	10155	390.58	391
मुनीम, लेखाकार क्लर्क आदि	8435.00	324.42	3450	132.69	11885	457.12	457
रालर्स, मिस्त्री, पाईन्टर्स	9522.00	366.23	3450	132.69	12972	498.92	499
उच्च कुशल	9735.00	374.42	3450	132.69	13185	507.12	507
कटर्स	10155.00	390.57	3450	132.69	13605	523.27	523

अनुसूची –स

किसी मुद्रणालय में नियोजन

मासिक एवं दैनिक वेतन की दरें जिसमें परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता भी सम्मिलित है

(आकड़े रूपयों में)

श्रमिकों का वर्ग	न्यूनतम मूल वेतन रूपये		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता रूपये		कुल वेतन रूपये		राउन्डअप में देय दैनिक वेतन दर रूपये
	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	
लिपिकिय वर्ग							
श्रेणी एक	8435.00	324.42	3450	132.69	11885	457.12	457
श्रेणी दो	7057.00	271.42	3450	132.69	10507	404.12	404
उच्च कुशल	9735.00	374.42	3450	132.69	13185	507.12	507
कुशल श्रमिक							
श्रेणी एक	9685.00	372.50	3450	132.69	13135	505.19	505
श्रेणी दो	9378.00	360.69	3450	132.69	12828	493.38	493
श्रेणी तीन	8435.00	324.42	3450	132.69	11885	457.12	457
अर्धकुशल श्रमिक							
श्रेणी एक	8435.00	324.42	3450	132.69	11885	457.12	457
श्रेणी दो	7057.00	271.42	3450	132.69	10507	404.12	404
अकुशल श्रमिक	6500.00	250.00	3150	121.15	9650	371.15	371

अनुसूची 'क'

मध्यप्रदेश के विभिन्न शासकीय विभागों में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों एवं कर्मचारियों के मासिक वेतन एवं दैनिक वेतन की दरें जिसमें परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते सम्मिलित है। (आकड़े रूपयों में)

(30 दिन के मान से)

श्रमिकों का वर्ग	न्यूनतम मूल वेतन रूपये		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता रूपये		कुल वेतन रूपये		राउन्डअप में देय दैनिक वेतन दर रूपये
	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	
अकुशल	6500.00	216.66	3150	105.00	9650	321.67	322
अर्धकुशल	7057.00	235.23	3450	115.00	10507	350.23	350
कुशल	8435.00	281.16	3450	115.00	11885	396.17	396
उच्च कुशल	9735.00	324.50	3450	115.00	13185	439.50	440

अनुसूची "द" (कृषि नियोजन)

जुलाई से दिसम्बर, 2022 छः माही का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत 1152 है इससे पूर्व की छः माही का औसत 1107 था जिसके कारण 45 बिन्दुओं की वृद्धि हुई है। वृद्धि होने से कृषि नियोजन में मंहगाई भत्ते सहित निम्नलिखित न्यूनतम वेतन देय होगा:-

श्रमिकों का वर्ग	न्यूनतम मूल वेतन रूपये		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता रूपये		कुल वेतन रूपये		राउन्डअप में देय दैनिक वेतन दर रूपये
	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	
अकुशल	5350.00	178.33	2304	76.80	7654	255.13	255

बीडी नियोजन

अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में आधारित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 5299 (2001=100) के औसत के ऊपर 3196 औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है। जिसके कारण जारी दरें दिनांक 01.04.2023 से 31.03.2024 तक निम्नानुसार रहेगी :-

अनुसूची (ई)

बीडी नियोजन

कर्मचारियों का वर्ग	न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरें रूपये	परिवर्तशील मंहगाई भत्ता रूपये	कुल वेतन रूपये
बीडी रोलर (1000 बीडी बनाने के लिए)	74.00	31.96	105.96

नोट:- एक हजार बीडी बेलने पर न्यूनतम वेतन परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता 105 रूपये 96 पैसे के अतिरिक्त बीडी श्रमिकों को बोनस पेटे 9 रूपये 27 पैसे (प्रतिशत 8.33), अर्जित अवकाश के एवज में नगद भुगतान 5 रूपये 30 पैसे (प्रतिशत 5) एवं भविष्य निधि बाबद नियोजक का अंशदान 11 रूपये 13 पैसे (प्रतिशत 10) इस प्रकार कुल 131 रूपये 66 पैसे देय होगी। इस सकल देय राशि में से श्रमिकों का एवं नियोजक का भविष्य निधि अंशदान की कटौती रूपये 22 रूपये 26 पैसे की होगी। इस प्रकार 1000 बीडी बेलने पर दिनांक 1.04.2023 से 31.03.2024 की अवधि में श्रमिकों से 11 रूपये 13 पैसे एवं भविष्य निधि कटौती की राशि 11 रूपये 13 पैसे उपरान्त शुद्ध राशि 109 रूपये 40 पैसे प्रति हजार बीडी देय होगी।

अगरबत्ती नियोजन

अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में आधार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 241 (2001=100) के ऊपर गत छः माही में 366 उपभोक्ता सूचकांक होने पर कुल 13 औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है। जिसके कारण जारी दरें निम्नानुसार रहेगी:-

अनुसूची (एफ)

अगरबत्ती नियोजन

कर्मचारियों का वर्ग	न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरें	परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता	कुल वेतन
अगरबत्ती रोलर (1000 अगरबत्ती रोल करने पर)	रु. 21.40	रु. 34.50	रु. 55.90
साधारण अगरबत्ती			
सुगंधित अगरबत्ती	रु. 22.00	रु. 34.50	रु. 56.50

स्पष्टीकरण-1.म.प्र.न्यूनतम वेतन सलाहकार परिषद की बैठक दिनांक 20.06.06 में हुई चर्चा में सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव अनुसार मजदूरी निर्धारण में पैसे तथा रूपये के गुणांक को राउण्ड-अप करके ही दैनिक एवं मासिक मजदूरी निर्धारित की जाय। तदनुसृत प्रतिदिन रूपये में राउण्ड-अप कर दैनिक दरें निर्धारित की गई हैं।

- वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 9-7/1006/नियम/चार, दिनांक 20 सितम्बर,2006 में 50 पैसे अथवा उससे अधिक पैसे हो तो, उन्हें अगले उच्चतर रूपये में पूर्णांकित किया जावेगा और 50 पैसे से कम राशि छोड़ दिया जावेगा।
- स्पष्टीकरण**:- राज्य शासन द्वारा दिनांक 15 मई,2015 को जारी एवं म.प्र. राजपत्र, दिनांक 22 मई 2015 में प्रकाशित अकुशल श्रमिकों हेतु मजदूरी की पुनरीक्षित न्यूनतम दरें, 1 जून, 2015 से प्रभावशील की गई हैं।

(डॉ. वीरेन्द्र सिंह रावत)

श्रम आयुक्त,
मध्यप्रदेश, इन्दौर

प्रेस विज्ञप्ति

न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अन्तर्गत श्रमिकों के लिए दिनांक 01.04.2023 से 30.09.2023 तक प्रभावशील वेतन है।

न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अन्तर्गत श्रमिकों को देय परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की दर में दिनांक 01.04.2023 से रुपये 325.00 प्रतिमाह की वृद्धि हुई है। अतः न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अन्तर्गत 67 अनुसूचित नियोजनों में कार्यरत श्रमिकों के मासिक एवं दैनिक वेतन की पुनरीक्षित दरें घोषित की जाती हैं, जो अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 241 (2001=100) पर आधारित कर संबंध की गई हैं।

न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अन्तर्गत अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के जुलाई, 2022 से दिसम्बर, 2022 तक की छः माही में कुल सूचकांक का औसत 379 रहा है। इसके कारण गत छः माही में मान्य किये गये अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के ऊपर 13 औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है, परिणामस्वरूप परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते में रुपये 25.00 प्रति बिन्दु की दर $13 \times 25 = 325.00$ रुपये (तीन सौ पच्चीस रुपये) प्रतिमाह की वृद्धि श्रमायुक्त द्वारा घोषित की गई है। इस प्रकार 01.04.2023 से परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता कुल रुपये 3450.00 प्रतिमाह अथवा 132.69 प्रतिदिन देय है।

अतः श्रमायुक्त द्वारा घोषित मंहगाई भत्ते की दरों के अनुसार दिनांक 01 अप्रैल, 2023 से आगामी 6 माहों के लिए 67 अनुसूचित नियोजनों में अकुशल श्रमिकों को प्रतिमाह रुपये 9650 या प्रतिदिन रु. 371.15, अर्द्धकुशल श्रमिकों को प्रतिमाह रुपये 10507 या प्रतिदिन रुपये 404.12, कुशल श्रमिकों को प्रतिमाह रुपये 11885 या प्रतिदिन रुपये 457.12 तथा उच्च कुशल श्रमिकों को प्रतिमाह रुपये 13185 या प्रतिदिन रु. 507.12 देय होगा।

कृषि नियोजन में गत छः माही में मान्य किये गये अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत के ऊपर (1152-1107)= 45 औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है। जिसके आधार पर वर्तमान मंहगाई भत्ता में प्रतिमाह 270.00 रुपये की वृद्धि श्रमायुक्त द्वारा घोषित की गई है, जिसके आधार पर अकुशल श्रमिकों को प्रतिमाह रुपये 7654. या प्रतिदिन रुपये 255.13 की मजदूरी मंहगाई भत्ते सहित दिनांक 01.04.2023 से 30.09.2023 तक के लिए देय होगा।

अगरबत्ती नियोजन में गत छः माही का औसत 379 रहा है। जो इसके पूर्व की छः माही के औसत 366 से ज्यादा है इसके कारण गत छः माही में मान्य किये गये अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत के ऊपर (379-241)=138 औसत बिन्दुओं अगरबत्ती नियोजन में भी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में औसत 13 बिन्दुओं की वृद्धि होने के कारण 01.04.2023 से परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता मिलाकर साधारण अगरबत्ती के लिए रु. 55 रुपये 90 पैसे तथा सुगंधित अगरबत्ती के लिए 56 रुपये 50 पैसे प्रति हजार अगरबत्ती की मजदूरी देय होगी।

एक हजार बीडी बेलने पर न्यूनतम वेतन परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता 105 रुपये 96 पैसे के अतिरिक्त बीडी श्रमिकों को बोनस पेटे 9 रुपये 27 पैसे (प्रतिशत 8.33), अर्जित अवकाश के एवज में नगद भुगतान 05 रुपये 30 पैसे (प्रतिशत 5) एवं भविष्य निधि बाबद नियोजक का अंशदान 11 रुपये 13 पैसे (प्रतिशत 10) इस प्रकार कुल 131 रुपये 65 पैसे देय होगी। इस सकल देय राशि में से श्रमिकों का एवं नियोजक का भविष्य निधि अंशदान की कटौती रुपये 22 रुपये 26 पैसे की होगी। इस प्रकार 1000 बीडी बेलने पर दिनांक 01.04.2023 से 31.03.2024 की अवधि में श्रमिकों से 11 रुपये 13 पैसे एवं भविष्य निधि कटौती की राशि 11 रुपये 13 पैसे उपरान्त शुद्ध राशि 109 रुपये 40 पैसे प्रति हजार बीडी देय होगी।

स्पष्टीकरण:-


- (1) मजदूरी निर्धारण में पैसे तथा रूपये के गुणांको को राऊण्ड-अप करके ही दैनिक एवं मासिक मजदूरी निर्धारित की जावेगी। वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 9-7/2006/नियम/चार, दिनांक 20 सितम्बर, 2006 में 50 पैसे अथवा उससे अधिक पैसे हो तो, उन्हें अगले उच्चतर रूपये में पूर्णांकित किया जावेगा और 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जावेगा।

श्रम आयुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, इन्दौर

क्रमांक : 1/11/अन्वे./पांच/2015/ 12000 - 12002 इन्दौर, दिनांक 31.10.2022

प्रतिलिपि :-

- (1) संचालक, जन सम्पर्क विभाग, म.प्र.शासन, भोपाल की ओर मध्यप्रदेश के समस्त दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशनार्थ।
- (2) अपर संचालक, जन संपर्क विभाग, इन्दौर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (3) केन्द्र निदेशक, आकाशवाणी केन्द्र, इन्दौर की ओर प्रसारण हेतु प्रेषित।


(डॉ. वीरेन्द्र सिंह रावत)
श्रम आयुक्त,
मध्यप्रदेश, इन्दौर

श्रमायुक्त कार्यालय मध्यप्रदेश शासन, इन्दौर

क्रमांक 1/11/अन्वै./पांच/2015/ 12 002-252

इन्दौर, दिनांक 31/03/2023

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर, जबलपुर, कटनी, छिन्दवाडा, मण्डला, बालाघाट, सिवनी, नरसिंहपुर, उज्जैन, मंदसौर, देवास, रतलाम, शाजापुर, नीमच, सागर, छतरपुर, दमोह, पन्ना, निवाडी, टीकमगढ़, सतना, सीधी, रीवा, शहडोल, उमरिया, अनुपपुर, डिंडौरी, सिंगरौली, भोपाल, बैतुल, विदिशा, रायसेन, राजगढ़, सीहोर, होशंगाबाद, हरदा, ग्वालियर, गुना, भिण्ड, शिवपुरी, अशोकनगर, दतिया, मुरैना, श्यौपुर, इन्दौर, बुरहानपुर, धार, खरगौन, झाबुआ, खण्डवा, बड़वानी, अलीराजपुर, आगर मालवा (म.प्र.)
2. समस्त मुख्य कार्यापालन अधिकारी, जिला पंचायत, जबलपुर, कटनी, छिन्दवाडा, मण्डला, बालाघाट, सिवनी, नरसिंहपुर, उज्जैन, मंदसौर, देवास, रतलाम, शाजापुर, नीमच, सागर, छतरपुर, दमोह, पन्ना, निवाडी, टीकमगढ़, सतना, सीधी, रीवा, शहडोल, उमरिया, अनुपपुर, डिंडौरी, सिंगरौली, भोपाल, बैतुल, विदिशा, रायसेन, राजगढ़, सीहोर, होशंगाबाद, हरदा, ग्वालियर, गुना, भिण्ड, शिवपुरी, अशोकनगर, दतिया, मुरैना, श्यौपुर, इन्दौर, बुरहानपुर, धार, खरगौन, झाबुआ, खण्डवा, बड़वानी, अलीराजपुर, आगर मालवा (म.प्र.)
3. उप श्रमायुक्त, भोपाल/इंदौर
4. सहायक श्रमायुक्त, जबलपुर, उज्जैन, मंदसौर, सागर, सतना, भोपाल, ग्वालियर, इन्दौर, होशंगाबाद, सिंगरौली, मुरैना, शहडोल।
5. श्रम पदाधिकारी, /सहा. श्रमदाधिकारी/श्रम निरीक्षक बालाघाट, कटनी, छिन्दवाडा, मण्डला, देवास, रतलाम, शाजापुर, छतरपुर, दमोह, सीधी, सिंगरौली, रीवा, शहडोल, बैतुल, विदिशा, मण्डलीदीप(रायसेन), राजगढ़, गुना, भिण्ड, मालनपुर (भिण्ड), बुरहानपुर, धार, पीथमपुर, खरगौन, झाबुआ, होशंगाबाद, सिवनी, नरसिंहपुर, नीमच, पन्ना, टीकमगढ़, उमरिया, अनुपपुर, डिण्डौरी, सीहोर, शिवपुरी, अशोकनगर, दतिया, मुरैना, श्यौपुर, खण्डवा, बड़वानी, अलीराजपुर, हरदा।
6. संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा इन्दौर।
7. संयुक्त संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा इन्दौर, भोपाल।
8. उप संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा इन्दौर हायजिन लेब इन्दौर, देवास, उज्जैन, खण्डवा, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, सतना, सिंगरौली, बीना(सागर)।
9. सहायक संचालक औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा मंदसौर।
10. सचिव, म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, 82, हर्षवर्धन नगर, भोपाल,
11. कल्याण आयुक्त, म.प्र. श्रम कल्याण मण्डल, 83, मालवीय नगर, भोपाल
12. सचिव, म.प्र स्लेट पेन्सिल कर्मकार कल्याण मंडल, मन्दसौर

निरन्तर 2

2

- 13 सचिव,म.प्र. शहरी एवं ग्रामीण असंगठित कर्मकार कल्याण मंडल,भोपाल
14. लेबर ब्यूरो, शिमला, (हिमाचल प्रदेश)।

विषय :- न्यूनतम वेतन अधिनियम,1948 के अंतर्गत श्रमिकों के लिए 01 अप्रैल, 2023 से लागू न्यूनतम वेतन दरें।

उपरोक्त विषयांतर्गत, श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन की नई पुनरीक्षित दरें दिनांक 01.04.2023 से प्रभावशील की गई हैं। उक्त दरें पुस्तक के रूप में श्रम विभाग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए श्रम विभाग की वेबसाइट www.labour.mp.gov.in पर लॉग ऑन करने का कष्ट करें


(डॉ. वीरेन्द्र सिंह रावत)
श्रम आयुक्त,
मध्यप्रदेश, इन्दौर